

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक-02-01-26

संख्या-12/निजी-70262/2023 सा0प्र0-205 /श्रीमती अमु अमला, बि0प्र0से0 (को0क्र0-805/24), भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद को स्वयं के ईलाज हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-03.12.2025 से दिनांक-15.02.2026 तक कुल-75 (पचहत्तर) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती अमला, बि0प्र0से0 को उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त कुल-215-75=140 (एक सौ चालीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी एवं कुल-120 (एक सौ बीस) दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी शेष आदेय होगी।

3. श्रीमती अमला को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने संबंधी वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70262/2023 सा0प्र0-205 /पटना, दिनांक-02-01-26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती अमु अमला, बि0प्र0से0 (को0 क्र0-805/24), भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।